



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE

Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 20, शुक्रवार, शाके 1939-फरवरी 9, 2017
Magha 20, Friday, Saka 1939- February 9, 2017

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

आयोजना विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 05, 2017

एस.ओ.302 :-राजस्थान भामाशाह (लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं का सीधा अंतरण और सेवाओं का परिदान) अधिनियम, 2017 की धारा 10 की अनुपालना में आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 18) की धारा 7 सपठित आधार (नामांकन एवं अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोजना विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014 दिनांक 06-02-2017 की निरन्तरता में राज्य सरकार एतद्वारा नीचे सारणी में वर्णित जन कल्याण के लाभ की योजनाओं के लिए भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तान्तरण के लिए आधार अधिप्रमाणन करवाने अथवा आधार संख्या का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिये निम्नानुसार अधिसूचित करती है कि,-

1. भामाशाह प्लेटफॉर्म से वितरित किए जा रहे नकद व गैर नकद लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी को आधार सत्यापन तंत्र के माध्यम से अपनी पहचान सत्यापित करवानी होगी।
2. यदि किसी लाभार्थी द्वारा आधार पंजीयन नहीं करवाया है तो उसे राज्य सरकार द्वारा स्थापित नजदीकी स्थाई आधार नामांकन केन्द्र पर जाकर आधार पंजीकरण करवाना होगा।
3. ऐसा लाभार्थी जिसके पास आधार संख्या उपलब्ध नहीं है तथा उसने अभी आधार पंजीयन कराया है लेकिन आधार संख्या प्राप्त नहीं हुई है उसके लिए राजकीय लाभ तथा सब्सिडी प्राप्त करने के

लिए पहचान के निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज के साथ आधार पंजीयन रसीद प्रस्तुत करनी होगी:-

- | | |
|-------------------------|--|
| (i) पासपोर्ट | (vi) किसान क्रेडिट कार्ड पास बुक |
| (ii) राशनकार्ड | (vii) स्वतंत्रता सेनानी का फोटो कार्ड |
| (iii) मतदान पहचान पत्र | (viii) राज्य सरकार द्वारा जारी विशेष योग्य जन पहचान पत्र |
| (iv) ड्राइविंग लाईसेन्स | (ix) राज्य/केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड का प्रमाण पत्र |
| (v) नरेगा जॉबकार्ड | |

सारणी

भामाशाह प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण हेतु चिन्हित योजनाएं

क्र. सं.	विभाग का नाम	योजना
162.	महिला एवं बाल विकास विभाग	प्रधानमंत्री मातृ वन्दना योजना
163.	महिला अधिकारिता विभाग	किशोरी बालिका योजना
164.	ग्रामीण विकास विभाग	दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

[संख्या एफ17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/2014]

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ. ओमप्रकाश बैरवा,

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।